

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 31/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-14.06.2021

1. रूपलाल पिता गोटू जी जाति कीर आयु 80 वर्ष निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. भैरूलाल पिता गोकल जी जाति कीर जाति कीर उम्र 82 वर्ष निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. रोडीबाई पत्नी भँवरलाल जी जाति कीर उम्र वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेड़ा राज0 ।
4. कैलाशचन्द्र पिता सुवालाल जी जाति कीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तह0 निम्बाहेड़ा राज0 ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन पिता ओमप्रकाश जी जाति तेली उम्र 35 साल निवासी पेंच तलाई, निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. रमेश पिता बाबुलाल जी जाति खटीक आयु 35 साल निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. आनन्दसिंह पिता मनोहरसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेड़ा राज0 ।
4. पुष्पेन्द्रसिंह पिता मनोहरसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बामनिया तह0 निम्बाहेड़ा राज0 ।

– विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा बामनिया प0ह0 मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 83 की आराजी नं0 208 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं0 210 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, आराजी नं0 365/210 रकबा 1.000 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टैर, इसी प्रकार खाता संख्या 84 की आराजी नं0 209 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 109 की आराजी नं0 366/210 रकबा 1.1300 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 135 की आराजी नं0 367/210 रकबा 1.2000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके वाके मौजा बामनिया प0ह0 मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 83 की आराजी नं0 208 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं0 210 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, आराजी नं0 365/210 रकबा 1.000 हैक्टेयर कुल किता 3 कल रकबा 2.3200 हैक्टैर, इसी प्रकार खाता संख्या 84 की आराजी नं0 209 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 109 की आराजी नं0 366/210 रकबा 1.1300 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 135 की आराजी नं0 367/210 रकबा 1.2000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी

पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा



Web Copy - Not Official